



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3582]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2019/कार्तिक 10, 1941

No. 3582]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2019/KARTIKA 10, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2019

का.आ. 3976(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत दिनांक 12.07.2019 को पीडी-12001/39/2019-कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री फहीम इब्राहिम बाघू सुपुत्र श्री इब्राहिम अब्बास बाघू निवासी फ्लैट नं. 604-605, नाना दादा अपार्टमेंट, मुम्ब्रा देवी रोड, मुम्ब्रा रेलवे स्टेशन के सामने, मुम्ब्रा, ठाणे- 400612 को हिरासत में लिया जाए और तलोजा सेन्ट्रल जेल, इनामपुरी, खारघर, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छुपाने या रखने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई के सामने उपस्थित हो।

[सं. पीडी-12001/39/2019-कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 1st November, 2019

S.O. 3976(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/39/2019-COFEPOSA dated 12.07.2019 under the said sub-section directing that Shri Fahim Ibrahim Waghoo, S/o Mr. Ibrahim Abbas Waghoo, R/o Flat No. 604-605, Nana Dada Apartment, Mumbra Devi Road, Opposite Mumbra Railway Station, Mumbra, Thane-400612 be detained and kept in Talaja Central Jail, Inampuri, Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra, with a view to preventing him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods and engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Government of Maharashtra, Mumbai, within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[No. PD-12001/39/2019-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.